

स्पीड पोस्ट  
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-305/2015 श्र0सं0- 102  
बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मो. सलीम,  
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रम अधीक्षक, गया ।

पटना, दिनांक :- 24-2-16

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम- राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-  
मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी.  
2230011120101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या-1442 दिनांक-15.5.15 के आलोक में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित्त श्रम अधीक्षक, गया के पत्रांक-196 दि.-18.2.16 के आलोक में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01) इकाई में रूपये 1,03,000/- (रूपये एक लाख तीन हजार) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि. दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।

6. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(मो. सलीम) 23/2/16

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-305/2015 श्र0सं0-

102

पटना, दिनांक 24-2-16 23/2/16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो. सलीम) 23/2/16

श्रम आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक -6/एफ1-305/2015 श्र0सं0

102

पटना, दिनांक 24-2-16 23/2/16

स्पीड  
पोस्ट

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, मगध /

\*जिला कोषागार पदाधिकारी, गया/ उप श्रमायुक्त, गया /आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सहायक श्रमायुक्त प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय एवं प्रशाखा-01 (श्रमपक्ष) को उनके गै०स०प्रे०सं०-66 (श्रमपक्ष) दिनांक-22.02.16 के आलोक में /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/प्रशाखा-06, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

(मो. सलीम) 23/2/16

श्रम आयुक्त, बिहार।